हिन्दू विवाह
सम्पत्ति का अधिकार

प्रकाशक
'न्याय सदन'
झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
डोरण्डा, राँची

हिन्दू विवाह

प्रकाशक :

'न्याय सदन'
झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
डोरण्डा, राँची

हिन्दू विवाह कानून

विवाह पारिवारिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंश है। विवाह के मामले में भी कानून लागू होता है और आपको सुरक्षा देता है। किसी भी धर्म पर जो कानून लागू होता हो, उसी के अनुसार विवाह करना जरूरी है।

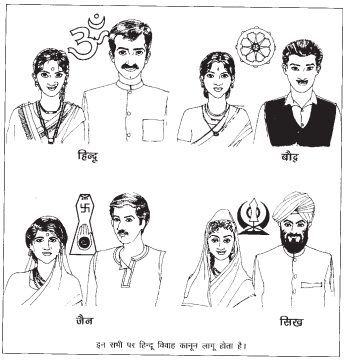

सभी हिन्दूओं पर **हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955** नामक कानून लागू होता है। यह कानून हमें यह बतलाता है कि हिन्दू विवाह किस तरह होता है, इस कानून में कौन–कौन विवाह कर सकते हैं, और विवाह कानूनन सही कब होता है। यह कानून हमें यह भी बताता है कि जब विवाहित जीवन में कुछ समस्याएँ पैदा हों तो कानून क्या सहायता कर सकता है।

हिन्दू विवाह अधिनियम के अनुसार कौन–कौन विवाह कर सकते हैं ?

❖ *हिन्दू चाहे वे किसी भी जाति या सम्प्रदाय के हों,*

- *बौद्ध,*
- *जैन,*
- *सिख,*
- *कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने अपना मूल धर्म त्याग कर हिन्दू धर्म अपनाया हो।*

आमतौर पर अनुसूचित जन जातियों पर यह कानून लागू नहीं होगा। हाँ, सरकार किसी भी जन जाति पर इसे एक विशेष आदेश द्वारा लागू कर सकती है।

हिन्दू विवाह किस तरह सम्पन्न होता है ?

- *हिन्दू विवाह वर और कन्या के समाज में प्रचलित रस्मों–रिवाज के मुताबिक होना चाहिये।*
- *आमतौर से हिन्दू विवाह होम, यज्ञ, हवन इत्यादि से और सप्तपदी द्वारा होता है। सप्तपदी यानि, वर और कन्या का मिलकर अग्निदेवता के आगे सात कदम चलना।*

क्या इसका मतलब है कि यदि सप्तपदी न हुई हो तो विवाह वैद्य नहीं होगा ?

नहीं! हर समाज के अपने रस्म–रिवाज होते हैं। इसमें से कुछ को कानून मानता है। उनके अनुसार की गयी शादी कानून को मंजूर होती है। *अगर आपके रीति–रिवाज में सप्तपदी की विधि शामिल है, तभी सप्तपदी का होना जरूरी बनता है। वरना आपका विवाह आपके समाज में प्रचलित रिवाज और विधियों के*

मुताबिक किया जा सकता है। हाँ आपका रिवाज आपके समाज में एक लम्बे अरसे से चला आ रहा होना चाहिए और कानूनी तौर से मान्य होना चाहिए। अगर वर और कन्या के अलग–अलग रस्म–रिवाज हैं, तो दोनों में से किसी एक के रस्मों के मुताबिक शादी हो सकती है।

यदि दो व्यक्ति रस्मों–रिवाजों से हटकर विवाह करना चाहें तो उन्हें क्या करना चाहिए ?

'विशेष विवाह अधिनियम, 1954' एक कानून है जिससे विवाह अदालत में किया जाता है। जो लोग रस्मों–रिवाजों से हटकर शादी करना चाहें, या जिनके रस्म–रिवाज अलग हों, या जो अलग–अलग धर्मों के हों, इस कानून से शादी कर सकते हैं। यह विवाह कानूनन मान्य और वैध होगा। अदालत से शादी का प्रमाण–पत्र दिया जायेगा।

यदि कोई व्यक्तित अपनी रस्मों के अनुसार विवाह नहीं करता है तो क्या होगा ?

ऐसे विवाह को नहीं माना जायेगा।

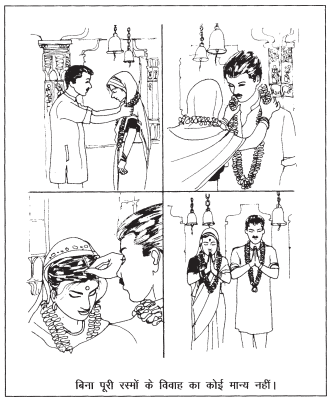
बिना पूरी रस्मों के विवाह का कोई मान्य नहीं।

गोपाल राधा से विवाह करना चाहता था। परन्तु, राधा के माता–पिता राजी नहीं थे। गोपाल राधा को लेकर मंदिर गया और वहाँ उसने राधा के गले में फूलों का हार डाला। राधा ने

भी गोपाल को फूल माला पहनाई। गोपाल ने राधा की मांग में सिन्दूर भरा और दोनों ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की। उसके बाद गोपाल ने राधा से कहा कि वह अब उसकी पत्नी है और वे दोनों जो चाहें कर सकते हैं। परिणाम यह हुआ कि राधा गर्भवती हो गई। लेकिन बाद में गोपाल ने उसे अपने पास रखने से इन्कार कर दिया।

क्या गोपाल और राधा का वास्तव में विवाह हुआ था ?

नहीं! यह विवाह कानूनी विवाह नहीं माना जा सकता, क्योंकि गोपाल और राधा के समाज में विवाह सप्तपदी से सम्पन्न होता है। इसलिए गोपाल और राधा के विवाह के लिये सप्तपदी की रस्म पूरी करना जरूरी है।

हिन्दू विवाह कानून के अन्तर्गत विवाह करने के लिए कौन–कौन सी शर्तें हैं ?

इस कानून के अनुसार विवाह होने के लिए कुछ शर्तें हैं। अगर विवाह की इन शर्तों को न माना जाये तो वह विवाह कानूनी रूप से विवाह माना ही नहीं जायेगा। कुछ ऐसी बातें हैं, जिनके न होने से ऐसा माना जायेगा कि विवाह कभी हुआ ही नहीं। ये बातें हैं :–

- *वर और कन्या दोनों का हिन्दू होना जरूरी है। यदि दोनों में से केवल एक ही हिन्दू है तो वह इस कानून से शादी नहीं कर सकता।*

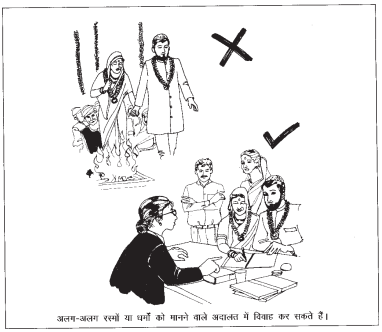

अलग-अलग रस्मों या धर्मों को मानने वाले अदालत में विवाह कर सकते हैं।

ललिता ने महमूद के साथ हिन्दू रस्मों के अनुसार शादी की। कानून इसे शादी नहीं मानेगा। ललिता और महमूद को ''विशेष विवाह अधिनियम'' के अनुसार शादी करनी चाहिये।

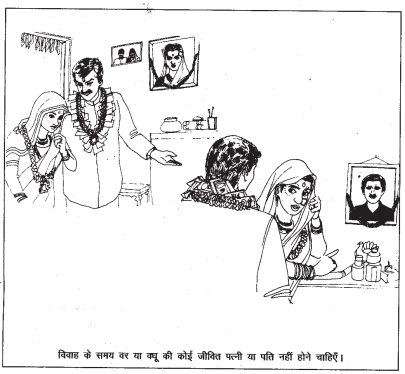

विवाह के समय वर या वधू की कोई जीवित पत्नी या पति नहीं होने चाहिएँ।

❖ *वर और कन्या दोनों की पहले शादी नहीं हुई होनी चाहिए। इसका मतलब कि विवाह के समय वर की कोई जीवित पत्नी या कन्या का कोई जीवित पति नहीं होना चाहिए। तलाकशुदा व्यक्ति, या जिसके पति या जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गयी हो, दोबारा विवाह कर सकते हैं।*

क्या विधवा शादी कर सकती है ?

हाँ, विधवा भी और महिलाओं की तरह ही दोबारा शादी कर सकती है। कुछ समाजों में विधवा की शादी की अलग रस्में होती हैं। इन सभी रस्मों से की गई शादी को कानून मानता है। परन्तु विधवा अविवाहित महिलाओं की तरह ही अपने या वर के समाज के रीति रिवाजों के मुताबिक भी शादी कर सकती है।

❖ ***वर और कन्या एक दूसरे के नजदीकी रिश्तेदार नहीं होने चाहिए।***

हिन्दू कानून में नजदीकी रिश्तेदारों के बीच का विवाह, जैसे कि चाचा, मामा, मौसी या बुआ के लड़के–लड़कियों के बीच का विवाह वैध नहीं माना जायेगा। परन्तु किसी के सामाजिक रिवाज के अनुसार यदि ऐसे विवाह को मंजुरी दी गयी है तो वे अपने नजदीकी रिश्ते में विवाह कर सकते हैं। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में लड़की का विवाह उसके माम के साथ हो सकता है। यह वहाँ का माना हुआ रिवाज है। उसी तरह भारत में कइ जगह स्त्री के विधवा हो जाने पर उसकी शादी उसके पति के भाई के साथ हो सकती है।

हाँ, यह बात जरूर याद रखें – आपके समाज में रिवाज न होने पर आप अपने नजदीकी रिश्ते में विवाह नहीं कर सकते। ऐसा विवाह वास्तव में विवाह नहीं माना जायेगा।

❖ ***वर की उम्र कम से कम 21 साल और कन्या की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। 21 साल से कम आयु के लड़के और 18 साल से कम आयु की लड़की का विवाह कानूनी अपराध है।***

ऊपर बताई गई शर्तों के अनुसार अगर शादी हो भी जाये,

तो भी कुछ बातें और हैं जिनका होना जरूरी है। इन बातों के न होने से, कोई भी पीड़ित स्त्री या पुरूष कोर्ट से शादी रद्द करने की मांग कर सकती है या कर सकता है। यानि, जब तक शादी कोर्ट द्वारा रद्द नहीं की जाती, तब तक वह शादी मान्य होगी। ये बातें हैं :–

❖ ***वर और कन्या दोनों मानसिक रूप से स्वस्थ्य होने चाहियें यानि वह विवाह के लिए सहमति देने के काबिल हों।***

किसी पागल व्यक्ति को शादी करने की कानून में मनाही है क्योंकि वह यह नहीं जान सकता क्योंकि वह उसमें सहमति नहीं दे सकता और ना ही वह विवाहित जीवन नहीं निभा सकता है।

कई बार वर और कन्या एक दूसरे को विवाह के बाद ही देखते हैं। किसी व्यक्ति की शादी यदि किसी पागल से हो जाये, तो वह अदालत जाकर अपने विवाह को रद्द या खत्म कराने की मांग कर सकती है या कर सकता है। हाँ, अदालत में यह साबित करना पड़ेगा कि वर या कन्या शादी के समय पागल थे।

माला के माँ–बाप ने माला की शादी रमेश से तय की थी। विवाह के बाद माला को पता चला कि रमेश की दिमागी हालत ठीक नहीं है। रमेश यह भी नहीं समझता था कि माला से उसकी शादी हुई है। माला फौरन अपने माँ–बाप के घर लौट आयी। माला के माता–पिता ने उसे रमेश के घर वापस नहीं भेजा। लेकिन गाँव के लोगों का कहना था कि माला का विवाह रमेश से हो चुका है, इसलिए उसका रमेश के साथ रहना जरूरी है। माला के पिताजी वकील के पास गये और अदालत में मुकदमा दायर कर दिया।

अदालत ने अपना फैसला दिया कि रमेश विवाह के समय दिमागी रूप से स्वस्थ नहीं था और माला विवाह के बन्धन से मुक्ति पा सकती थी। दूसरे शब्दों में कहा जाये तो वह अपनी जिन्दगी ऐसे जी सकती थी कि मानों उसका विवाह हुआ ही नहीं था।

❖ ***पति के नामर्दगी के कारण शादी परिपूर्ण न हुई हो। पति के नामर्द होने के कारण विवाह परिपूर्ण न हो तो पत्नी अदालत से विवाह को रद्द या शून्य घोषित करने की मांग कर सकती है।***

पागल से शादी करना कानूनन मना है।

❖ ***शादी धोखे या दबाव से हुई हो। स्त्री का विवाह दबाव डालकर, जबरदस्ती, या छलपूर्वक कराया गया हो तो उसकी अर्जी पर अदालत विवाह रद्द या शून्य घोषित कर देगी।***

बिमला बाई का विवाह शंकरलाल से तय हुआ था। बिमला बाई के माता–पिता को बताया गया था कि शंकरलाल एक पढ़ा–लिखा

व्यक्ति और उसका परिवार सम्पन्न है। विवाह हो जाने के बाद उसे मालूम हुआ कि शंकरलाल अनपढ़ और शराबी है और उसके परिवार का कमाई का कोई साधन नहीं है। बिमला बाई ने इस ध ोखे के बारे में पता चलते ही एक साल के अन्दर कोर्ट में अर्जी दे दी। यह विवाह धोखे से हुआ था। बिमला बाई के विवाह को अदालत ने शून्य घोषित कर दिया।

वर की उम्र, वर की नौकरी या व्यवसाय, या वर की किसी गम्भीर बीमारी की जानकारी जैसी जरूरी बातें आपसे छिपाई जायें या आपको गलत बताई जायें,तब भी माना जायेगा कि विवाह के लिए आपकी सहमति धोखे से ली गयी हैं।

डाँट–डराकर या जबरदस्ती विवाह करवाया जाता है, तो इसे भी दबाव या जबरदस्ती से सहमति लेना कहेंगे। ऐसे में भी अदालत विवाह शून्य घोषित करेगी। हाँ, छल का पता चलते ही फौरन आपको अदालत जाना होगा। अगर धोखे की जानकारी होने के एक साल के सम के बाद अदालत में अर्जी दी जाये, तो अदालत अर्जी स्वीकार नहीं करेगी।

- *अगर पत्नी शादी के समय किसी और पुरूष से गर्भवती थी तो पति शादी रद्द करने की अर्जी दे सकता है। इसके लिए यह जरूरी है कि शादी के समय पति को पत्नी की गर्भावस्था की जानकारी नहीं थी। यह अर्जी शादी के एक साल के बाद नहीं दी जा सकती। हाँ, अगर पति गर्भावस्था के बारे में जानने के बावजूद पत्नी के साथ संभोग करता है तो भी वह शादी रद्द करने की अर्जी नहीं दे सकता है।*

विवाह का पंजीकरण

आप किसी भी रस्म से, या फिर विशेष विवाह कानून से विवाह करें। फिर भी आपके विवाह का पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) हो सकता है। विवाह करने वाले दोनों व्यक्तियों को मिलकर, विवाह अधिकारी को एक अर्जी देनी होगी। अर्जी मिलने पर विवाह अधिकारी शादी की किताब में शादी के बारे में लिखेंगे और उसका प्रमाण–पत्र भी देगें।

विवाह का पंजीकरण विवाह के बाद कभी भी करवाया जा सकता है। हाँ, इसके लिए निम्न शर्तें पूरी होनी चाहिये :

- पति–पत्नी ने किसी भी रस्म से विवाह किया हो, और तब से वे पति–पत्नी की तरह रह रहे हों।
- दोनों में से किसी के कोई और जीवित पति या पत्नी न हों।
- पंजीकरण के समय दोनों में से कोई पागल या मानसिक रूप से दुर्बल न हो।
- दोनों व्यक्ति कम से कम 21 साल के हों।
- दोनों व्यक्ति करीबी रिश्तेदार न हों।
- दोनों व्यक्ति विवाह अधिकारी के कार्यालय के जिले में कम से कम 30 दिन से रह रहे हों।

दूसरी शादी – कानूनी अपराध

पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करना कानूनी अपराध है।

कई पुरूष एक पत्नी के होते दोबारा शादी कर लेते हैं। कभी–कभी वह पत्नी की 'सहमति' से शादी करते हैं।

राधु और श्यामा की कोई सन्तान नहीं थी। राधु ने दूसरी शादी करने का फैसला किया। श्यामा यह बिल्कुल नहीं चाहती थी पर दबाव में आकर वह मान गई। राधु ने गीता से शादी कर ली। गीता को एक लड़की पैदा हुई। एक साल बाद राधु ने गीता को भी घर से निकाल दिया। कहने लगा, कि उसने लड़के के लिये गीता से शादी की थी। कई औरतों के साथ इस तरह का सुलूक होता है। उन्हें ऐसी स्थिति से बचना चाहिये।

कानून क्या कहता है ?

- ❖ पत्नी के जीते जी दूसरी शादी करना कानूनी अपराध है। पहली पत्नी चाहे तो पति के खिलाफ थाने में या मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में शिकायत दर्ज कर सकती है। ऐसे पति को सात साल तक की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। यदि वह सरकारी नौकरी करता हो, तो नौकरी से निकाल दिया जायेगा।
- ❖ ऐसी दूसरी शादी कानून में शादी नहीं मानी जाती।
- ❖ पत्नी की 'सहमति' से की गई दूसरी शादी भी गैर–कानूनी है।

- ❖ दूसरी पत्नी को वास्तव में पत्नी का कोई हक कभी नहीं मिलेगा। उसे न तो खर्चा माँगने का हक होगा, न ही पति की संपति में कोई अधिकार मिलेगा।
- ❖ हाँ, अगर पहली पत्नी की मौजूदगी दूसरी पत्नी से छिपाई गई हो, तो दूसरी पत्नी पति के खिलाफ धोखे का मुकदमा कर सकती है। वह पति से मुआवजा लेने के लिये भी मुकदमा कर सकती है।

ऐसी दूसरी शादी से पैदा हुए बच्चों को पिता की संपति में वह सभी हक मिलेंगे जो कि जायज औलाद को मिलते हैं।

मीना और जितेन्द्र की शादी हुए दस साल हो गए थे। उनके तीन बच्चे थे। जितेन्द्र सुनीता नाम की लड़की से मिलने लगा। कुछ दिनों बाद उन्होंने शादी करना फैसला किया। दोनों ने अपना धर्म बदल लिया और इस्लामी कानून के अनुसार शादी कर ली। मीना ने जितेन्द्र पर मुकदमा दायर कर दिया। जितेन्द्र ने कहा कि क्योंकि अब वह मुसलमान बन गया है, इसलिए उसे दोबारा शादी करने का अधिकार है। कोर्ट के फैसले के अनुसारः

- ❖ जिस धर्म के कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति की शादी होती है, उसी धर्म का शादी का कानून लागू होगा। यानि जितेन्द्र की शादी अगर हिन्दू धर्म के कानून में हुई थी तो वह बिना मीना से तलाक लिए दूसरी शादी नहीं कर सकता।
- ❖ धर्म परिवर्तन के बाद की गई शादी गैर–कानूनी और अमान्य है।

बाल विवाह – कानूनी अपराध

कम उम्र के बच्चों की शादी कर देने से उनके स्वास्थ्य, मानसिक विकास और खुशहाल जीवन पर असर पड़ता है। कम उम्र में शादी करने से पूरे समाज में पिछड़ापन आता है। इसीलिए कानून में शादी करने की भी एक उम्र तय की गई है। इस उम्र से कम उम्र की हुई शादी को बाल विवाह कहते हैं।

बाल विवाह क्या है ?

अगर शादी करने वाली लड़की की उम्र 18 साल से कम हो, या लड़के की उम्र 21 साल से कम हो, वह बाल विवाह कहलाएगा। ऐसी शादी की कानून में मनाही है। ऐसी किसी शादी के कई परिणाम हो सकते हैं :

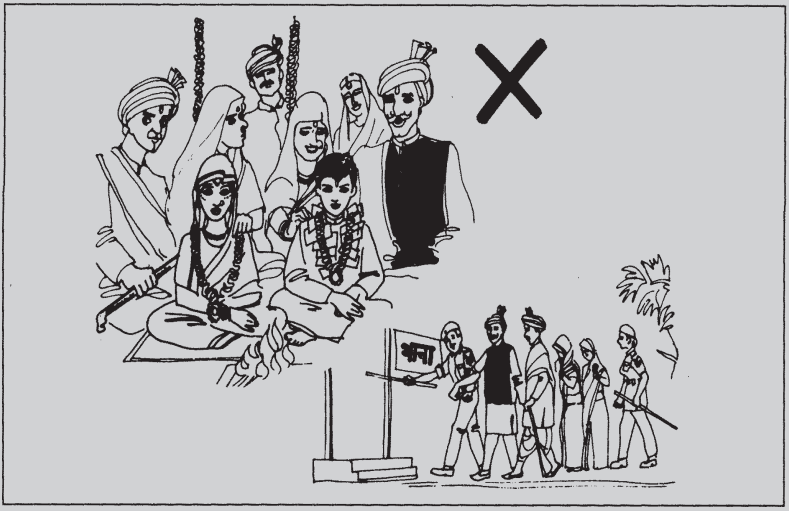

- 18 साल से अधिक उम्र का लड़का अगर 18 साल से कम उम्र की लड़की से शादी करता है तो उसे दो साल तक की कड़ी कैद या एक लाख रूपये तक का जुर्माना या फिर दोनों सजाएँ हो सकती हैं।
- शादी करने वाले जोड़े में से जो भी बाल हो, शादी को कोर्ट से रद्द (अमान्य या शून्य) घोषित करवा सकता है। शादी के बाद कभी भी कोर्ट में यह अर्जी दी जा सकती है, पर बालिग हो जाने के दो साल बाद नहीं।
- जो भी बाल विवाह सम्पन्न करे या करवाए जैसे – पंडित, मौलवी, माता–पिता, रिश्तेदार, दोस्त, इत्यादि, उसे दो साल तक की कड़ी सजा या एक लाख रूपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
- जिस व्यक्ति की देखरेख में बच्चा है, यदि बाल विवाह करवाता है– चाहे वह माता–पिता, अभिभावक या कोई और उसे दो साल तक की कड़ी सजा या एक लाख रूपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
- जो कोई व्यक्ति बाल विवाह को किसी तरह का बढ़ावा देता है, या जानबूझकर लापरवाही से उसे रोकता नहीं, जो बाल विवाह में शामिल हो या बाल विवाह की रस्मों में उपस्थित हो, उसे दो साल तक की कड़ी सजा या एक लाख रूपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

इस कानून में किसी महिला को जेल की सजा नहीं दी जा सकती, केवल जुर्माना हो सकता है।

- अगर 18 साल से ज्यादा उम्र का लड़का 18 साल से कम उम्र की लड़की से शादी करता है तो उसे दो साल तक की कड़ी सजा या एक लाख रूपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
- बाल विवाह को शून्य घोषित करने की अर्जी उसी जिला अदालत में की जाएगी जहाँ तलाक की अर्जी दी जा सकती है।

बाल विवाह कैसे रोका जा सकता है ?

- कोई भी व्यक्ति जिसे बाल विवाह की जानकारी हो, अपने इलाके के मेट्रोपोलीटन मैजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मैजिस्ट्रेट को सूचना दे सकते हैं। यह फौजदारी कोर्ट है जो शादी को रोकने का आदेश दे सकता है।
- जिला के कलेक्टर/डी.एम. भी बाल विवाह को रोकने के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं।
- यह जानकारी थाने में भी दी जा सकती है।
- रोकने के आदेश के बावजूद सम्पन्न की गई शादी शून्य होगी यानि कानून की नजर में शादी नहीं मानी जाएगी।

बाल विवाह को रोकने के आदेश दिए जाने के बाद भी अगर कोई बाल विवाह करवाता है तो उसे दो साल की साधारण या कड़ी कैद या एक लाख रूपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

- ❖ किसी नाबालिग की शादी उसका अपहरण करके, उसे बहला–फुसला कर या जोर–जबरदस्ती से कहीं ले जाकर या शादी के लिए या शादी के रस्म के बहाने बेचकर या अनैतिक काम के लिए की जाए, तो ऐसी शादी भी शून्य मानी जाएगी।

सरकार द्वारा ''बाल विवाह निषेध अधिकारी'' नियुक्त किए जाएंगे जो बाल विवाह को रोकने के कदम उठाएंगे।

समाज के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति जैसे पंचायत सदस्य, कोई अधिकारी या गैर सरकारी संस्था के सदस्य को बाल विवाह निषेध अधिकारी की सहायता करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त किया जा सकता है।

तलाक

कभी–कभी ऐसा होता है कि विवाह कानूनन मान्य और वैध होता है लेकिन विवाहित जीवन के दौरान अत्यन्त कड़वे और दुःखी हालात पैदा हो जाते हैं। सभी जानते हैं विवाहित जीवन के दौरान दम्पति के आपसी सम्बन्ध बनते–बिगड़ते रहते हैं। लेकिन कई बार मामला इस हद तक खराब हो जाता है कि पति और पत्नी का एक साथ रहना असम्भव बन जाता है। ऐसे हालात को सुलझाने के लिए कानून मे तलाक का प्रबन्ध रखा गया है। आप अदालत जाकर अपनी शादी को खत्म कराने की मांग कर सकती है। तलाक द्वारा आप विवाहित जीवन से मुक्त हो जायेंगी। ***कोर्ट द्वारा तलाक लेने के लिये कुछ आधार हैं। इन आधारों पर पीड़ित पति या पत्नी तलाक की मांग कर सकते हैं। पत्नी के लिये तलाक के कुछ विशेष आधार भी हैं।***

पति के दूसरी महिला के साथ शारीरिक संबंध होने पर पत्नी तलाक ले सकती है।

स्त्री किन–किन आधारों पर तलाक दे सकती है ?

❖ ***व्यभिचार या दूसरी स्त्री के साथ संभोग :*** शादी हो जाने के बाद *पति का किसी अन्य स्त्री के साथ शारीरिक*

सम्बन्ध जोड़ने पर पत्नी तलाक की अर्जी दे सकती है : पति अगर कहे कि उसने पहले उस स्त्री के साथ विवाह किया है, तब भी ऐसे सम्बन्ध को व्यभिचार माना जायेगा, क्योंकि पत्नी के होते हुए दूसरा विवाह, विवाह नहीं माना जाता।

❖ ***परित्याग :*** यदि पति बिना वजह पत्नी को छोड़कर चला जाता है तो स्त्री तलाक ले सकती है। *बिना उचित कारण के अपने जोड़े से अलग रहने को परित्याग कहते हैं।* हाँ तलाक लेने के लिए जरूरी है कि पति ने अपनी पत्नी को दो साल या अधिक समय से छोड़ रखा हो।

सुरेश और अनीता की शादी हुए तीन साल हो चुके थे। शादी के एक साल बाद सुरेश ने अनीता के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया था। वह अनीता को मारता था। कुछ समय के बाद सुरेश और अनीता के बीच पति–पत्नी का सम्बन्ध रहा ही नहीं। सुरेश घर छोड़कर अलग रहने लगा। उसने अनीता को खर्चा पानी देना भी बन्द कर दिया। सुरेश ने अनीता का परित्याग किया, जिसके आधार पर अनीता को तलाक मिल सकता है।

❖ ***क्रूरता :*** यदि पति पत्नी के साथ शारीरिक या मानसिक दुर्व्यवहार या अत्याचार करे तो वह तलाक ले सकती है।

❖ *शारीरिक क्रूरता का मतलब है मारना या किसी अन्य तरह शरीर को पीड़ा देना।*

❖ *मानसिक क्रूरता का मतलब है किसी भी तरह का मानसिक दबाव या तनाव बनाये रखना,* जैसे कि पत्नी पर गैर वफादारी या चरित्र हीनता के इल्जाम लगाना, दहेज की मांग करना, गाली–गलौच करना इत्यादि। इस तरह अत्याचार का मतलब केवल मारना ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से सताना भी होता है। फिर, चाहे उसे मारने या सताने का कोई कारण हो या न हो।

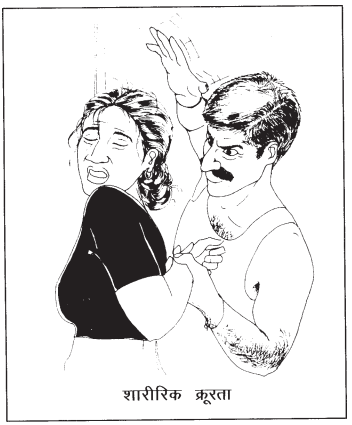
शारीरिक क्रूरता

मीना की शादी महेश के साथ हुई। शादी के कुछ दिन बाद महेश ने मीना को बुरी तरह मारना शुरू कर दिया। वह उसे दहेज के लिए ताने मारता और उसे चरित्रहीन कहकर सताता। महेश ने मीना के घर से बाहर कदम रखने पर भी पाबन्दी लगा दी। महेश के इस व्यवहार को कानून में क्रूरता कहेंगे। महेश का यह अत्याचार मीना से सहन न होने पर वह अदालत में गई और उसने तलाक की अर्जी दी। महेश ने

पति के धर्म बदलने, साधु बन जाने तथा लाइलाज कोढ़ का शिकार हो जाने पर पत्नी तलाक ले सकती है।

मीना के साथ दुर्व्यवहार किया था। इस आधार पर मीना को तलाक मिल गया।

- ***धर्म बदलना :*** पति धर्म बदल ले या संसार त्याग दे तो तलाक लिया जा सकता है।
- ***असाध्य पागलपन :*** यदि पति असाध्य (लाइलाज) पागलपन का शिकार हो जाये, तो तलाक लिया जा सकता है।

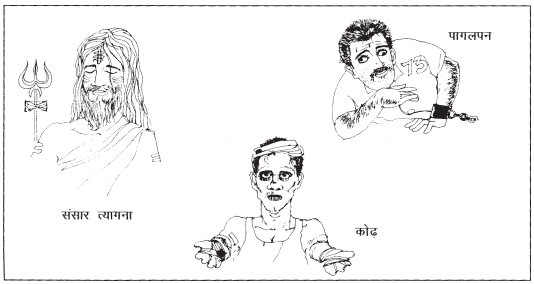

- ***कोढ़ :*** भयानक और लाइलाज कोढ़ का रोग तलाक का आधार हो सकता है।
- ***सात साल तक लापता रहना :*** यदि पति सात साल या उससे अधिक समय तक लापता हो, तो अदालत द्वारा तलाक लिया जा सकता है। *लापता यानि कि उसके सगे सम्बन्धी या उसके मित्रों को भी उसकी कोई खबर न हो।*
- ***रतिज रोग :*** अगर पति रतिज रोग से पीड़ित हो तो पत्नी तलाक ले सकती है।

लता का पति रमेश काम करने के लिए दूसरे शहर गया।

जाने के बाद कुछ महीनों तक तो रमेश के पत्र घर पर बराबर आते रहे। अचानक उसकी ओर से खबर मिलनी बन्द हो गयी। लता रमेश के घर लौटने का इन्तजार करती रही, परन्तु न तो रमेश घर आया न ही उसका कोई समाचार। रमेश के माता–पिता और मित्रों को भी रमेश की कोई खबर नहीं मिली थी। अपने पति के जाने के बाद लता आठ साल तक अपने ससुराल में रही। उसके ससुर को उस बड़ी दया आती थी। इसलिए एक दिन ससुर लता को लेकर अदालत गये और लता को तलाक दिलवाने में मदद की। आज लता का दूसरा विवाह हो चुका है और वह सुखी है।

- ❖ *शादी के बाद अगर किसी का पति अदालत द्वारा बलात्कार या बदकारी का दोषी पाया जाता है* तो उसकी पत्नी इस आधार पर तलाक ले सकती है।
- ❖ *बड़े होने पर बाल–विवाह का निराकरण*

बड़े होने पर बाल विवाह का निराकरण हो सकता है।

यदि किसी लड़की की शादी 15 साल से कम उम्र में हो गयी हो तो वह 15 साल की उम्र होने के बाद और 18 साल की

होने से पहले उस विवाह को मानने से इंकार कर सकती है।

गुड़िया 12 साल की थी, तभी उसके माँ–बाप ने उसकी शादी कर दी। वह पढ़ रही थी इसलिए वह अपने ससुराल में नहीं रहती थी। अपने माता–पिता के घर में रहकर उसने दसवीं तक पढ़ाई की। वह आगे पढ़ने के लिए बहुत उत्सुक थी। उसे पता चला कि जिस लड़के के साथ उसकी शादी की गयी थी,वह निकम्मा और अनपढ़ है। उसने अपनी मास्टरनी जी को यह बात बताई। मास्टरनी जी के पति वकील हैं। उन्होंने गुड़िया को तलाक दिलवा दिया।

पति–पत्नी के समझौते से तलाक

जहाँ पति और पत्नी दोनों समझते हैं कि उनका विवाह सफल नहीं हो सकता, यानि कि किसी भी कारण से उनका एक साथ विवाहित जीवन में रहना असम्भव है, वे मिलकर तलाक ले सकते हैं। पति और पत्नी दोनों फैसला कर सकते हैं एक दुःखी विवाहित जीवन गुजारने के बजाय तलाक लेकर शादी को खत्म कर दिया जाए। ऐसे तलाक के लिए अदालत को कोई कारण बताना जरूरी नहीं है। हाँ, इसमें कुछ बातें जरूर है :

आपसी समझौते से तलाक।

- *पति–पत्नी कम से कम एक साल से अलग रहे हों।*
- *पति–पत्नी दोनों सहमत हों कि उनका साथ रहना अब संभव नहीं है।*
- *पति या पत्नी पर यह अर्जी देने के लिए दबाव नहीं डाला गया हो।*
- *इसके लिये पति–पत्नी को एक साथ जिला न्यायालय में तलाक की अर्जी देनी होगी। अर्जी में कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती।*
- *उस अर्जी पर 6 महीनों तक कोर्ट कोई कार्यवाही नहीं करेगी। यह इसलिये कि पति–पत्नी को समझौते का एक और मौका मिल सके।*
- *कम से कम 6 महीने बीत जाने पर कोर्ट पति–पत्नी से पूछेगी कि वह तलाक चाहते हैं या नहीं। यदि वह चाहते हों, तो तुरन्त तलाक की अर्जी मंजूर हो जायेगी।*

जिन कारणों से तलाक लिया जा सकता है, उन्हीं कारणों से अदालत केवल अलग रहने का आदेश भी दे सकती है। तलाक मिलने से शादी खत्म हो जाती है, पति पत्नी अविवाहित कहलाएँगे। परन्तु 'अलग रहने' के आदेश से शादी खत्म नहीं होती। इस दौरान यदि समझौता हो जाये तो शादी बनी रहेगी।

तलाक कैसे होता है ?

तलाक के लिए अर्जी किस कोर्ट मे देनी होगी ?

कोर्ट तलाक की अर्जी के लिये निम्न बातें याद रखनी चाहिये :–

- ❖ महिला को आत्म–विश्वास रखना चाहिये। उसे अपने सगे– संबंधियों से सलाह मश्वरा कर लेना चाहिये। वह चाहे, तो किसी समाज–सेवी संस्था से सलाह ले सकती है। वे उसका पति के साथ समझौता करवाने की भी कोशिश करेंगे।
- ❖ यदि समझौता न हो सके, तो महिला को अदालत जाने से कतई नहीं डरना चाहिये। अदालत उसके प्रति सहानुभूति से व्यवहार करेगी।
- ❖ अदालत की भी पहली कोशिश यही होती है कि पति–पत्नी का समझौता हो सके। समझौता न हो सके, तभी तलाक की कार्यवाही आगे बढ़ाई जाएगी।
- ❖ तलाक की अर्जी शादी के एक साल बाद ही दी जा सकती है, पहले नहीं। हाँ, पत्नी को विशेष कठिनाई का सामना करना पड़ रहा हो, तो कोर्ट एक साल से पहले भी अर्जी स्वीकार कर सकती है।
- ❖ कोर्ट की सारी कार्यवाही गुप्त रखी जाती है। केवल मुकदमे से संबंधित लोग वहाँ मौजूद होंगे।

- ❖ तलाक की अर्जी निम्न जगहों में से किसी एक जगह के जिला न्यायाधीश (डिस्ट्रिक्ट कोर्ट) में दी जाएगी :–
- ❖ जहाँ शादी सम्पन्न हुई हो या
- ❖ जहाँ दूसरे पक्ष (जिसके खिलाफ अर्जी दी गई हो) का निवास हो या
- ❖ जहाँ पति–पत्नी आखिर में साथ रहे हों या
- ❖ यदि अर्जी पत्नी की है, तो जहाँ उसका निवास हो
- ❖ तलाक की अर्जी देने पर, अदालत दूसरे पक्ष को एक नोटिस देगी। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद, गवाहों और सबूतों को जाँचनें के बाद ही तलाक का फैसला होगा
- ❖ कुछ राज्यों में कौटुम्बिक अदालतें (फैमिली कोर्ट) स्थापित हुई हैं। वहाँ तलाक की अर्जी उन्हीं अदालतों में देनी होगी

तलाक रस्मों – रिवाजों के मुताबिक, जाति पंचायत के द्वारा भी हो सकता है। इसमें भी कुछ बातें याद रखना जरूरी हैं:

- ❖ पति पत्नी के समुदायों में पंचायती तलाक की रस्म की मान्यता होनी चाहिये।

- ❖ तलाक दोनों पक्षों की मर्जी से होना चाहिये। पंचायत एक पक्ष के कहने से तलाक नहीं दे सकती।
- ❖ पंचायत को दोनों पक्षों की सुनवाई करके ही तलाक देना होगा।
- ❖ यदि एक पक्ष की मर्जी के बिना तलाक दे दिया जाये तो पंचायत कोई और नाइंसाफी करे तो कोर्ट में मुकदमा किया जा सकता है।

याद रखें : बिना कोर्ट या सही जाति पंचायत की कार्यवाही के कोई तलाक मान्य नहीं हैं। कोई भी व्यक्ति या समूह तलाक का फैसला नहीं दे सकता। तलाक केवल स्टाम्प पेपर इत्यादि पर लिख कर दोनों के समझौते से भी नहीं हो सकता।

विवाहित जीवन के अधिकारों की प्रत्यास्थापना

विवाहित जीवन में पति और पत्नी के एक दूसरे के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं। उदाहरण के तौर पर पति का कर्तव्य बनता है कि वह अपने परिवार का भरण–पोषण करे। पति और पत्नी एक दूसरे के साथ रहने चाहिए और उनके बीच शारीरिक संबंध होने चाहिए। ***अगर किसी ठोस कारण के बिना पति या तो पत्नी को छोड़कर चला जाता है या फिर पत्नी के साथ रहकर भी विवाहित जीवन के कर्तव्य पूरे नहीं करता, तो अदालत पति को उसके विवाहित जीवन के कर्तव्य निभाने का आदेश दे सकती है।***

हरि और रामप्यारी एक साल से शादीशुदा थे। साल भर के विवाहित जीवन के बाद हरि रामप्यारी के साथ लापरवाही बरतने लगा। उसने रामप्यारी को घर चलाने के लिए पैसे देने बन्द कर दिए। रामप्यारी से बात तो क्या करना, उसकी संगत से भी किनारा करने लगा। ये दोनों एक घर में रहते जरूर थे, लेकिन उनके बीच कोई सम्पर्क नहीं रहा। कुछ दिनों के बाद हरि अपना घर छोड़कर किसी रिश्तेदार के घर जाकर रहने लगा। रामप्यारी बिल्कुल अकेली पड़ गयी। ऐसे हालात में रामप्यारी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने हरि को आदेश दिया कि वह

अपने घर लौट जाये और रामप्यारी के साथ रहे।

अदालत ने ऐसा आदेश इसलिए दिया क्योंकि :–

- ❖ हरि का विवाह रामप्यारी से हुआ था,
- ❖ रामप्यारी से ऐसी कोई गलती नहीं हुई थी जिसके कारण हरि को घर छोड़ना पड़े।
- ❖ इसलिये, हरि का घर छोड़ना, पत्नी का परित्याग था।

अदालत क्या कमला को मोहन के पास लौटने का आदेश दे सकती है ?

हाँ! यदि कमला को भी पति को छोड़ने का कोई कारण नहीं है तो कमला को भी ऐसा आदेश दिया जा सकता है।

क्या कोई ऐसे कारण हैं जिनके होते हुए अदालत ऐसा आदेश नहीं देगी ?

हाँ! पत्नी के पास ऐसे कारण हैं :–

- ❖ पति के किसी और स्त्री के साथ शारीरिक संबंध हैं,
- ❖ पति लाइलाज कोढ़ का मरीज हो, या
- ❖ पति अपनी पत्नी से जान–बूझकर लापरवाही बरतता हो, या
- ❖ पति अपनी पत्नी के साथ अत्याचार करता हो, इत्यादि
- ❖ अगर पति रतिज रोग से पीड़ित है तो पत्नी तलाक ले सकती है।

पति के पास ऐसे कारण हैं :–

- ❖ पत्नी दूसरा विवाह कर लेती है, या
- ❖ पत्नी लाइलाज कोढ़ की मरीज हो, या
- ❖ पत्नी अपने पति से जान–बूझकर लापरवाही बरतती हो, या
- ❖ पत्नी अपने पति के साथ अत्याचार करती हो, इत्यादि

रानी अपने पति रमेश को छोड़कर चली गई है क्योंकि रमेश दूसरी औरत के साथ रहता है। क्या अदालत रानी को रमेश के पास लौटने का आदेश दे सकती है ?

नहीं! अदालत रानी को ऐसा आदेश नहीं देगी क्योंकि

उसके पास रमेश को छोड़ने का एक ठोस कारण है।

लेकिन हरि के पास ऐसा कोई कारण नहीं है। फिर भी वह रामप्यारी के पास लौटना नहीं चाहता। क्या अदालत उसे मजबूर कर सकती है ?

नहीं! अदालत उसे भी मजबूर नहीं कर सकती क्योंकि पत्नी को भी पति के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

हमारे समाज में शादी और शादीशुदा जीवन की आड़ में स्त्री के साथ हर प्रकार का दुर्व्यवहार होता है। स्त्रियों को यही समझाया जाता है कि उसका जीवन पति के साथ जुड़ा है – चाहे वह उसे मारे, सताये या भूखा रखे। लेकिन, सच तो यह है कि किसी को भी दूसरे पर अत्याचार करने का हक नहीं है। इसलिये कोई भी स्त्री अगर विवाहित जीवन से पीड़ित या परेशान हो, कानून की सहायता ले सकती है। कानून किसी के घर में आकर सहायता नहीं कर सकता। हर स्त्री को पहले अपनी हिम्मत बटोरनी होगी। ऐसा करने से ही कुछ अत्याचार बंद हो जायेंगे। और अगर वह दूसरा कदम उठाकर अत्याचार के जीवन से निकलना चाहे तो कानून उसकी मदद करेगा।

विशेष विवाह कानून

धार्मिक रीति रिवाजों से तो विवाह हो ही सकता है। परन्तु यदि कोई इन रीति रिवाजों से हटकर विवाह करना चाहता हो, तो वह क्या करे ? या फिर दो अलग–अलग धर्म के लोग, धर्म बदले बिना विवाह करना चाहते हों, तो वे विवाह कैसे करें ? ऐसी स्थितियों के लिए एक अलग कानून है जिसका नाम है **''विशेष विवाह अधिनियम, 1954''**।

इस कानून के अनुसार विवाह कौन कर सकता है ?

कोई भी दो व्यक्ति इस कानून के अनुसार विवाह कर सकते हैं। इस प्रकार के विवाह के लिए व्यक्ति के निजी धर्म का कोई मायने नहीं।

आशा और अरूण हिन्दू धर्म को मानते हैं। वे दोनों विशेष विवाह अधिनियम के अनुसार विवाह कर सकते हैं।

गोपी हिन्दू धर्म को मानता है और सलमा का मजहब इस्लाम है। वे दोनों विशेष विवाह कानून के अन्तर्गत विवाह कर सकते हैं।

जफर और सबीहा दोनों मुसलमान हैं। वे दोनों चाहें तो इस कानून के मुताबिक शादी कर सकते हैं।

कैथरीन और जोजफ ईसाई धर्म को मानते हैं। उनकी शादी इस कानून के मुताबिक हो सकती है।

रूही मुसलमान है और पीटर ईसाई है। वे दोनों

इस कानून के अन्तर्गत विवाह कर सकते हैं।

राकेश एक हिन्दू है। वह एक ईसाई लड़की प्रेमा से शादी करना चाहता है। राकेश और प्रेमा भी बिना अपना धर्म त्यागे इस विशेष कानून के अनुसार शादी कर सकते हैं।

जो दो व्यक्ति इस कानून के अन्तर्गत विवाह करना चाहते हों, उन्हें निम्न शर्तें पूरी करनी होंगी :

- *दोनों में से कोई भी शादीशुदा न हो।* यानि, एक जीवित पत्नी अथवा एक जीवित पति के होते हुए दूसरी शादी नहीं रचाई जा सकती। हाँ, विधवा, विधुर या तलाकशुदा व्यक्ति इस कानून में शादी जरूर कर सकते हैं।
- *दोनों में से कोई भी पागलपन के कारण विवाह के लिए सहमति या रजामन्दी देने में असमर्थ न हो।*
- *दोनों में से कोई भी ऐसी दिमागी बीमारी का शिकार न हो,* जिससे कि वह शादी के लिए सहमति तो दे सके, परन्तु शादी निभाने के या परिवार बढ़ाने के काबिल न हो
- *दोनों में से किसी को असाध्य पागलपन न हो।*
- *शादी करने वाले पुरूष की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिये और महिला की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए।*
- *शादी करने वाले व्यक्ति एक दूसरे के नजदीकी रिश्तेदार*

नहीं होने चाहिये, जैसे कि माता, पिता, भाई, बहन, भांजा, भांजी, भतीजी, भतीजा, नानी, दादी इत्यादि। जिन लोगों से विवाह नहीं किया जा सकता, उनकी सूची इस कानून में दी गई है।

विशेष विवाह किस तरह सम्पन्न होता है ?

विशेष विवाह सरकार द्वारा नियुक्त एक अधिकारी द्वारा सम्पन्न किया जाता है। इन्हें 'विवाह अधिकारी' कहते हैं और इनका कार्यालय आमतौर पर जिला की कचहरी ('डिस्ट्रिक्ट कोर्ट') में होता है।

विवाह किस जिले में सम्पन्न हो सकता है ?

जिस जिले में विवाह करने वाले व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति विवाह की सूचना की तारीख से पहले कम से कम 30 दिन से रह रहा हो, वहाँ विवाह हो सकता है।

इस प्रकार के विवाह के लिए निम्न कदम उठाए जाते हैं :

- *विवाह करने के इरादे की सूचना*

  विवाह करने वाले व्यक्ति अपने इस इरादे की लिखित सूचना देंगे। इस सूचना का एक फार्म मिलता है। यह फार्म भर कर, विवाह अधिकारी को देना होगा। फार्म में अपने नाम, पता, आयु, व्यवसाय, इत्यादि जरूरी सूचनाएँ लिखनी होंगी।

- सूचना मिलने पर, *विवाह अधिकारी अपनी किताब में यह सूचना दर्ज करेंगे* फिर *उस सूचना को प्रसारित करेंगे।*

यानि सूचना को अपने कार्यालय के किसी मुख्य स्थान पर लगायेंगे।

- *सूचना के प्रसारण के 30 दिन बाद ही विवाह सम्पन्न किया जायेगा।* यह 30 दिन का समय इसलिये दिया जाता है, कि कोई व्यक्ति चाहे, तो विवाह की शर्तें पूरी न होने का दावा कर सकता है। जैसे, विवाह करने वालों की उम्र 21 या 18 साल से कम है, या उनकी पहले शादी हो चुकी है, इत्यादि।

यदि ऐसा कोई दावा नहीं किया जाता तो 30 दिन के बाद विवाह सम्पन्न किया जायेगा।

- *तीस दिनों का समय पूरा होने के बाद* प्रार्थियों को *दो महीने के अन्दर शादी करनी पड़ेगी* अथवा उन्हें नया नोटिस देकर पूरी कार्यवाही दुबारा से करनी पड़ेगी।
- विवाह सम्पन्न होने के पहले *दोनों व्यक्तियों को एक फार्म में घोषणा करनी होगी कि वह विवाह की सब शर्तें पूरी करते हैं।* गलत घोषणा देने से सजा व जुर्माना हो सकता है।
- *विवाह का स्थान विवाह अधिकारी के कार्यालय में हो सकता है।* विवाह अधिकारी को अर्जी देकर और कुछ शुल्क देकर, किसी और स्थान पर या घर पर भी विवाह किया जा सकता है। विवाह के समय तीन गवाहों का होना जरूरी है। विवाह करने वाले चाहें तो किसी भी

प्रकार की रस्म कर सकते हैं। परन्तु उस रस्म के साथ साथ ये शब्द कहने आवश्यक हैं ''मैं (अपना नाम), आप (पुरूष या महिला का नाम) को अपना/अपनी कानूनन पति/पत्नी मानती हूँ/मानता हूँ।''

यह शब्द बोलने के बाद विवाह सम्पन्न हो जाता है और विवाह अधिकारी इसे अपनी किताब में लिख लेते हैं। विवाह करने वाले व्यक्ति, और तीनों गवाह उस किताब में हस्ताक्षर करेंगे।

इस प्रकार विवाह करने से क्या लाभ हो सकता है ?

इस प्रकार के विवाह से कई लाभ हो सकते हैं, जैसे कि :

- ❖ विवाह सरल तरीके से हो सकता है।
- ❖ विवाह सरकारी अधिकारी द्वारा किया जाता है और उनकी किताब में लिखा जाता है। विवाह का प्रमाण पत्र (मैरिज सर्टिफिकेट) भी मिलता है। इसलिये बाद में ऐसे विवाह को कोई भी पक्ष नकार नहीं सकता। शादी का प्रमाण पत्र शादी का पक्का सबूत होता है।
- ❖ दो अलग–अलग धर्मों के व्यक्ति बिना अपने धर्म के बदले विवाह कर सकते हैं।
- ❖ विशेष विवाह कानून के अनुसार शादी करने से सभी व्यक्तियों को, चाहे वे किसी भी धर्म को मानते हों, एक ही तरह के तलाक के आधार मिलते हैं।

विशेष विवाह कानून में कौन–कौन से तलाक के आधार मिलते हैं ?

इस कानून में निम्न तलाक के आधार मिलते हैं :

- *व्यभिचार, या शादी के बाद किसी अन्य व्यक्ति से शारीरिक सम्बन्ध जोड़ना।*
- *दो साल तक लगातार परित्याग।*
- *किसी अपराध के लिये सात साल या अधिक की सजा काटना।*
- *क्रूरता यानि शारीरिक या मानसिक दुर्व्यवहार*
- *पागलपन या अन्य किस्म की मानसिक बीमारी*
- *छूत से होने वाले रतिरोग*
- *कोढ़*
- *सात साल तक लापता होना*
- *पति शादी के बाद बलात्कार या बदकारी का अपराधी हो।*
- *कोर्ट ने पति को खर्चा–पानी देने का आदेश दिया हो, और उस आदेश के बाद एक साल से अधिक समय से पति–पत्नी अलग रह रहे हों।*
- *आपसी समझौते से तलाक,* यानि, जहाँ पति–पत्नी दोनों मिल के अर्जी दें कि वे एक साल से ऊपर साथ नहीं रहे और वे दोनों शादी को खत्म करना चाहते हैं। इसमें कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती।

खर्चे–पानी की व्यवस्था

'खर्चे पानी' का मतलब है भरण–पोषण या जीवन बसर करने के साधन, जैसे– रोटी, कपड़ा, मकान, बच्चों की शिक्षा इत्यादि।

हमारे समाज में अधिकांश महिलायें खर्चे पानी के लिए विवाह से पहले अपने पिता पर और विवाह के बाद अपने पति पर निर्भर रहती हैं। अगर स्त्री अपने पति से तलाक लेती है तो प्रश्न यह उठता है कि उसका खर्चा पानी कौन देगा ? असल में इसी मुद्दे को लेकर बहुत सी महिलायें न चाहते हुए भी अपने पति साथ दुःखी होकर विवाहित जीवन बिताना जारी रखती है।

कुछ आदमी अपनी पत्नियों को छोड़ देते हैं या तलाक दे देते हैं। कुछ पति साथ रहते हुए भी पत्नी और बच्चों को खर्चा– पानी नहीं देते। ***इन स्थितियों में स्त्री बेसहारा या मजबूर न बन जाये इसके लिए भी कानून में व्यवस्था की गयी है। तलाकशुदा स्त्री को भी अपने पति से अपने और अपने बच्चों के लिए खर्चा–पानी प्राप्त करने का अधिकार है।***

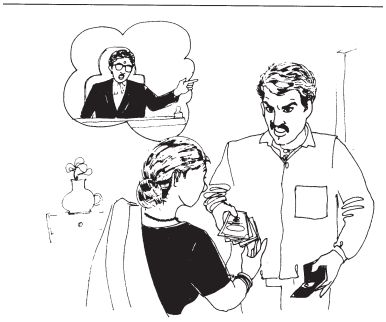

अदालत आदेश दे सकती है कि पति तलाकशुदा पत्नी को खर्चा पानी दे।

खर्चा–पानी कौन देगा ?

तलाक देने वाली अदालत आदेश जारी करगी कि पति पत्नी को खर्चे–पानी की रकम देगा।

खर्चा कितना और किस हिसाब से दिया जाता है ?

खर्चा देने के लिये अदालत इन बातों को ध्यान में रखती है :

- *औरत अपनी आवश्यकताएँ स्वयं पूरी करने में असमर्थ है*
- *आदमी की आमदनी या जायदाद कितनी है,*
- *औरत की आवश्यकताएँ क्या हैं*

परिस्थितियों को देखते हुए अदालत खर्चे की रकम इकठ्ठे या मासिक रूप से देने का आदेश दे सकती है।

यह खर्चा कब तक मिलता है ?

- *जब तक खर्चा पाने वाला जिन्दा रहता है।*

अगर कोई स्त्री खर्चा पाने के बाद दोबारा शादी कर ले, तो क्या तब भी उसे खर्चा मिलता रहेगा ?

नहीं! उस हालत में खर्चा देने वाला अदालत की मंजूरी लेकर खर्चा देना बन्द कर सकता है। *यदि तलाकशुदा स्त्री किसी और से शारीरिक सम्बन्ध रखती है, तो भी खर्चा बन्द हो सकता है।* अगर स्त्री अपने बच्चों का पालन–पोषण कर रही हो, तो उनका खर्चा पति को हर हालत में देना पड़ेगा।

तलाकशुदा स्त्री को खर्चे की रकम कौन–सी अदालत

दिलवायेगी ?

जिस अदालत में तलाक लिया गया है, वही अदालत खर्चे की रकम दिलवा सकती है। तलाक की कार्यवाही के दौरान या उसके बाद, उसी अदालत में एक अर्जी देनी होगी। और मुद्दों के साथ–साथ अदालत खर्चे के आदेश भी देगी।

पत्नी का खर्चे का अधिकार

पत्नी को पति से खर्चा लेने का अधिकार होता है। यदि पति पत्नी को खर्चा न दे, तो वह अदालत के जरिये पति से खर्चा ले सकती है। यह अधिकार **हिन्दू दत्तक और भरण–पोषण अधिनियम, 1956** के अंतर्गत दिया जाता है।

यदि पत्नी किसी ठोस कारण से पति से अलग रहती हो, तो भी वह पति से खर्चा मांग सकती है। ऐसा ठोस कारण हो सकता है :

- ❖ पति ने छोड़ दिया हो
- ❖ पति के दुर्व्यवहार से डर के पत्नी अलग रहने लगी हो
- ❖ पति को कोढ़ हो
- ❖ पति की और कोई जीवित पत्नी हो
- ❖ पति का किसी दूसरी औरत से अनैतिक सम्बन्ध हो
- ❖ पति ने धर्म बदल लिया हो

पत्नी अगर व्यभिचारी हो या धर्म बदल ले तो वह खर्चा मांगने की हकदार नहीं रहती। (धारा 18)

विधवा को खर्चा पाने का अधिकार

(हिन्दू दत्तक तथा भरण–पोषण अधिनियम, 1956)

हिन्दू विधवा अगर अपनी कमाई या सम्पति से अपना खर्चा नहीं चला सकती तो उसे इन लोगों से खर्चा मिलने का हक है :

- ❖ पति की सम्पति में से या अपने माता–पिता से
- ❖ अपने बेटे या बेटी से या उनकी सम्पति में से

इन लोगों से यदि उसे खर्चा न मिले तो उसके ससुर को उसका खर्चा देना होगा। यदि वह दोबारा विवाह कर लेती है, तो ससुर से खर्चा लेने का कोई हक नहीं होगा। (धारा 19)

बच्चों, बूढ़े या दुर्बल माता पिता का खर्चा पाने का अधिकार

बच्चों, बूढ़े या दुर्बल माता पिता को निम्नलिखित लोगों से हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम, 1956 के तहत निम्नलिखित लोगों से खर्चा–पानी पाने का हक है :

- ❖ अविवाहित बेटी, चाहे उसकी उम्र कितनी भी हो, को अपने माता–पिता से खर्चा मिलने का हक है।
- ❖ जायज और नाजायज नाबालिग (18 साल से कम उम्र के) बच्चों को माता–पिता से खर्चा मिलने का हक है।
- ❖ बूढ़ या शारीरिक रूप से दुर्बल माँ–बाप को अपने बच्चों से (बेटे हो या बेटियाँ) खर्चा मिलने का हक है।

यह खर्चा लेने का हक सिर्फ ऐसे लोगों को है जो अपनी कमाई या सम्पति में से अपना खर्चा नहीं चला सकते।(धारा 20)

खर्चा पाने के लिये दीवानी (सिविल) अदालत में अर्जी देनी होगी। इसके अलावा या इसके साथ–साथ फौजदारी अदालत में **दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125** के अंतर्गत भी अर्जी दी जा सकती है। अगर कोई महिला अपना खर्चा उठाने में असमर्थ हो, तो फौजदारी कानून में खर्चे की अर्जी दे सकती है। यह खर्चा पति से, पिता से या अपने पुत्र से मांगा जा सकता है। अर्जी देने पर अदालत आदेश देगी कि उस महिला को हर महीने खर्चे के रूप में कुछ पैसे दिये जायें। किसी व्यक्ति को अदालत द्वारा नोटिस जारी होने 60 दिन के अंदर अग्रिम खर्चा पानी देना शुरू हो जाना चाहिये। यह अर्जी पहले दर्जे के मजिस्ट्रेट के कोर्ट में देनी होगी।

बच्चों की अभिरक्षा

तलाक के बाद बच्चों का क्या होगा ?

तलाक के बाद पति–पत्नी अलग–अलग रहते हैं। इसलिये उनके बच्चों के सिलसिले में कुछ समस्यायें उठती हैं। बच्चे किसके पास रहेंगे ? उनका खर्चा–पानी कौन उठायेगा और कब तक ?

तलाक के समय स्त्री अदालत को अर्जी दे सकती है कि ये सब बातें भी तय की जायें।

सभी हालातों को देखकर अदालत तय करेगी कि बच्चा माँ के पास रहेगा या अपने पिता के पास। अदालत यह जानने की कोशिश करेगी कि बच्चा खुद किससे पास रहना पंसद करता है। आमतौर से माँ को कानूनी अधिकार है कि 5 साल का होने तक बच्चा उसी के पास रहे।

माँ का अधिकार है कि पाँच साल तक बच्चा उसी के पास रहे

पाँच साल की उम्र के बाद बच्चा किससे पास रहेगा इस बात का निर्णय अदालत बच्चे का हित ध्यान में रखते हुए लेगी।

बच्चे के हित का मतलब है, माँ या पिता में से कौन बच्चे की देखभाल बेहतर कर सकता है। इसका मतलब बच्चे की जिस्मानी जरूरतें पूर करना जैसे कि खिलाना–पिलाना, स्कूल

भेजना वगैरह और बच्चे की मानसिक व भावनात्मक जरूरतें पूरी करना जैसे कि खेलना, प्यार करना, उसके साथ बातें करना। बच्चे की भावनाओं को कौन अच्छी तरह समझ सकता है, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है।

अगर माँ की अपनी कोई आमदनी न हो, तो क्या बच्चा उसे नहीं दिया जायेगा ?

ऐसी बात नहीं है। *बच्चे का हित अगर अपनी माँ के पास रहने में है, तो बच्चा माँ को ही दिया जायेगा। ऐसी स्थिति में बच्चा चाहे पिता के साथ न रहता हो, तो भी पिता को उसका खर्चा–पानी देना होगा।*

पति अक्सर अदालत से कहते हैं कि बीवी का चरित्र बुरा है इसलिये उसे बच्चा नहीं दिया जाना चाहिये। तो क्या अदालत यह बात मानकर बच्चा माँ को सौंपने से इन्कार करेगी ?

अदालत माँ को बच्चा सौंपने से तभी इन्कार करेगी जब उसे वास्तव में जानकारी मिले कि :–

- *माँ का चरित्र बुरा है,* सिर्फ किसी स्त्री को बुरे चरित्रवाली कहने से उसका चरित्र बुरा नहीं माना जा सकता है। स्त्री अगर किसी पुरूष के साथ दिखाई भी दे तब भी इसका यह मतलब नहीं निकलता कि उसका चरित्र बुरा है या
- *माँ किसी दिमागी रोग की मरीज है,* जिससे कि बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है। या
- *अगर और कोई ऐसा कारण हो जिससे बच्चे को हानि पहुँच सकती है, तो भी अदालत बच्चा सौंपने से इन्कार कर सकती है।*

सम्पत्ति का अधिकार

सम्पत्ति का अधिकार

हमारे कानून हमें यह हक देता हैं कि हम अपने लिये, अपने नाम से जायदाद खरीद सकें। आदमियों की तरह ही, औरतों को भी सम्पत्ति का मालिक होने का हक है।

कानून के अनुसार :–

- ❖ *हर औरत को अपने लिये, अपने नाम से सम्पत्ति खरीदने और रखने का अधिकार है।*
- ❖ *कोई औरत अपनी सम्पत्ति का जो चाहे कर सकती है – चाहे वह सम्पत्ति उसे मिली हो, या उसकी कमाई की हो।*
- ❖ *हर औरत को यह हक है कि अपनी कमाई के पैसे वह खुद ले। वह पैसों से जो भी करना चाहे कर सकती है।*
- ❖ *औरतों को भी यह अधिकार है कि आदमियों की तरह वे भी सम्पत्ति खरीदें या बेचें।*
- ❖ *औरतों को अपने माता–पिता या दूसरे रिश्तेदारों की सम्पत्ति का हिस्सा भी मिल सकता है। उनको किससे और कितना हिस्सा मिल सकता है यह उनके निजी कानून पर निर्भर करता है। निजी कानून का मतलब है, वह कानून जो किसी के समुदाय पर लागू होता है।*

सम्पत्ति में क्या–क्या चीजें शामिल हैं ?

मीता के पिता ने उसकी शादी के समय उसे कुछ सोने की चूड़ियाँ और एक सिलाई की मशीन दी थी। वे चूड़ियाँ और सिलाई की मशीन मीता की सम्पत्ति है।

अमीना एक व्यापारी के यहाँ शालों पर कढ़ाई करती है। उसे हर शाल की कढ़ाई के 50/– रूपये मिलते हैं। अमीना की यह कमाई उसकी सम्पत्ति है।

जसबीर कौर के नाना ने उसे अपना छोटा सा खेत दान में दिया। वह खेत जस्बीर कौर की सम्पत्ति है।

लिली एक मिल में काम करती है। अपनी कमाई से उसने कामगार कालोनी में एक घर खरीदने का फैसला किया। उसके पति डेविड ने कहा, ''यह घर मेरे नाम से होना चाहिये क्योंकि मैं परिवार का मुखिया हूँ।'' लेकिन लिली को अपने नाम से घर लेने का पूरा अधिकार है। वह उसके लिये और उसके बच्चों के लिए सुरक्षा है।

अब हम निजी कानून में जायदाद के अधिकारों को विस्तार से देखेंगे।

हिन्दू स्त्रियों के सम्पत्ति के अधिकार

माला और आशा बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ती थीं और तब से अच्छी सहेलियाँ हैं। अब माला एक वकील है और आशा एक स्कूल में पढ़ाती है। लम्बी बीमारी के बाद एक दिन आशा के पिता की मृत्यु हो गयी। जब माला उसके घर अफसोस करने गयी तो आशा बोली, ''पिताजी की मृत्यु के बाद से मेरा भाई माधव घर की सभी औरतों से अच्छा व्यवहार नहीं करता। घर में दादी, माँ, भाभी, मेरी विधवा बहन गौरी और छोटी बिमला हैं। माधव घर चलाने के लिए पूरे पैसे भी नहीं देता है और कहता है कि सारी सम्पति उसकी है।''

माला बोली, *''क्यों ? क्या पिताजी वसीयत में सब कुछ उसके नाम लिख गये हैं ?''*

आशा ने पूछा, ''वसीयत क्या होती है ?''

माला ने कहा, *''वसीयत एक कागज होता है जिसमें कोई व्यक्ति यह लिखता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी सम्पति किसे दी जाये।''*

तब आशा बोली, ''नहीं। पिताजी ने तो कोई वसीयत नहीं लिखवायी थी।''

माला बोली, *''अच्छा। फिर तो उनकी सम्पति का हिस्सा* **'हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम, 1956'** *के अनुसार होगा।'' यह एक कानून है जिसमें कुछ नियम तय किये गये हैं। ये नियम बताते हैं*

कि हिन्दू पुरूषों और स्त्रियों की सम्पति का उनकी मृत्यु के बाद क्या होगा।

9 सितम्बर 2005 तक कानून के अनुसार :–

- ❖ खानदानी सम्पति वह सम्पति होती थी जो हिन्दू पुरूष को अपने पुरूष पूर्वजों से मिलती थी।
- ❖ किसी भी हिन्दू पुरूष का जन्म से ही अपने परिवार की खानदानी सम्पति पर अधिकार होता था।
- ❖ लड़कियों का खानदानी सम्पति से जन्म से कोई अधिकार नहीं था। उन्हें खानदानी सम्पति में से खाने–पीने, रहने, पढ़ाई व शादी का खर्चा मिलने का हक था।

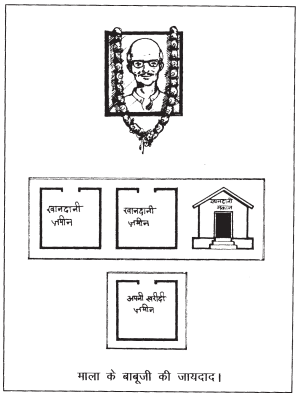

माला के बाबूजी की जायदाद।

अब इस कानून में बदलाव आया है।

इस बदलाव के अनुसार

- ❖ *लड़कियों को खानदानी सम्पति में उसी प्रकार जन्म से अधिकार है, जैसे किसी हिन्दू पुरूष को।*
- ❖ *यदि कोई खानदानी सम्पति दिनांक 20 दिसम्बर 2004 से पहले बेची या वसीयत की गई है तब वह कानून इस सम्पति पर लागू नहीं होगा।*
- ❖ *यदि कोई खानदानी सम्पति का बंटवारा कोर्ट द्वारा या*

किसी रजिस्टर्ड डीड से हुआ है तब यह कानून इस सम्पति पर लागू नहीं होगा।

- *खानदानी सम्पति में से कोई व्यक्ति अपने हिस्से की वसीयत लिख सकता है। यानि यह तय कर सकता है कि उसकी मृत्यु के बाद खानदानी सम्पति में उसके अपने हिस्से का क्या किया जाये।*
- *लेकिन अगर उसने अपने हिस्से की वसीयत न लिखी हो तो, उसके हिस्से की सम्पति उसके वारिसों में बराबर–बराबर बंट जाएगी। पुरूष के पहले दर्जे के वारिस हैं,*
  - उसके बेटे
  - उसकी बेटियाँ
  - उसकी पत्नी

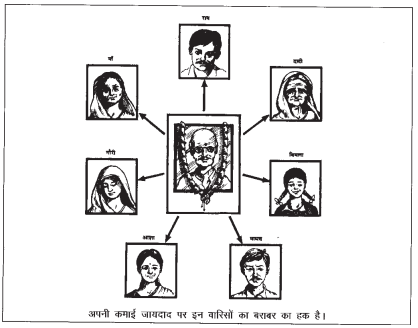

  - उसकी माँ
  - उसके मरे हुए बेटों के बच्चे
  - उसके मरी हुए बेटियों के बच्चे

- ❖ उसकी विधवा बहुएँ
- ❖ उसके मरे हुए पोतों के बच्चे

यदि इनमें से कोई वारिस न हो, तो सम्पति उसके अन्य सगे–संबंधियों को मिलेगी।

- ❖ *कोई व्यक्ति (पुरूष या महिला) अपनी कमाई की सम्पति की भी वसीयत लिख सकता है।* तब उसकी सम्पति उसी को मिलेगी जिसका नाम वसीयत में होगा।
- ❖ *पर यदि वसीयत न लिखी हो तो उसकी अपनी कमाई की सम्पति भी उसके ऊपर दिए वारिसों में बांटी जाएगी। सबको बराबर हिस्सा मिलेगा – लड़का हो या लड़की।*

माला : अच्छा आशा आप कितने भाई व बहन हो ?

आशा : राम भईया, माधव, मेरी बहन रेखा और मैं।

माला : तो, तुम्हारी खानदानी सम्पति तुम्हारे पिता, तुम्हारे दोनों भाई और दोनों बहनों की है।

आशा ने कहा: अच्छा! 9 सितम्बर 2005 से पहले हमारे परिवार की खानदानी सम्पति के तीन बराबर हिस्से होते– बाबूजी का, मेरे भाई राम का और दूसरे भाई माधव का। बाबूजी को मिले 1/3 हिस्से में से हम सब यानि कि माँ, दादी, मेरी विधवा भाभी, मेरा भाई माधव मेरी बहन और मुझे बराबर का हिस्सा मिलता। ठीक है ना ? लेकिन कानून के बदलने के

बाद खानदानी सम्पति में मेरे पिता और भाइयों के साथ मुझे बराबर का हिस्सा मिलेगा।

आशा ने फिर पूछा : पर हमने तो सुना है कि लड़कियों का पिता की सम्पति में कोई अधिकार नहीं होता क्योंकि उनकी शादी में खर्चा किया जाता है।

माला ने समझाया : पुराने कानून के मुताबिक लड़कियों को सिर्फ खर्चे का अधिकार था। सन् 1956 के बाद अब सम्पति में हिस्से का भी अधिकार है, चाहे शादी में खर्चा किया हो या नहीं। और 2005 के बाद नए कानून के अनुसार लड़कियों को खानदानी सम्पति में भी अपना हिस्सा मिलेगा।

आशा ने पूछा : क्या हम अपने हिस्से का कुछ भी कर सकते हैं?

माला ने बताया :

- *तुम्हारा हिस्सा तुम्हारा अपना है और तुम उसका जो चाहे कर सकती हो।*
- वर्ष 1956 के पहले के कानून में हिन्दू स्त्रियों को ऐसी सम्पति पर पूरा अधिकार नहीं था। उन्हें सिर्फ उनके जिन्दा रहने तक सम्पति को इस्तेमाल करने का हक था। *पर 1956 के बाद से औरतों का सम्पति पर पूरा हक है।*
- *कोई औरत चाहे तो इसे बेच सकती है, चाहे तो किसी को दे सकती है या वसीयत में किसी के नाम छोड़ सकती है।*
- *अगर विधवा दूसरी शादी कर ले, तो भी गुजरे हुए पति से*

मिली सम्पति उसकी अपनी ही रहेगी।

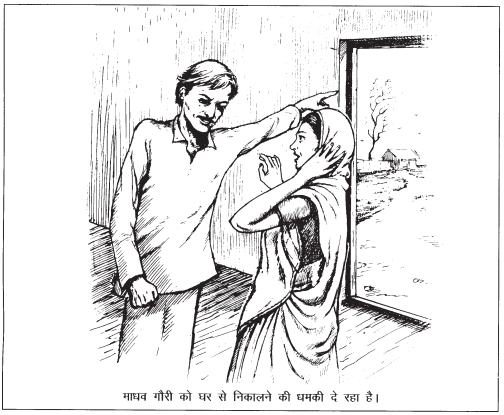

माधव गौरी को घर से निकालने की धमकी दे रहा है।

आशा की माँ : यह बताओ कि इस समय हम जिस घर में रह रहे हैं उसका क्या होगा ? माधव तो कहता है कि यह पूरा घर उसका है। क्या वह हमें घर से बेदखल कर सकता है।

माला ने समझाते हुए कहा, ''पर चाची वह ऐसा नहीं कर सकता है। *कानूनन ऐसी स्थिति में माधव जैसे व्यक्ति की माँ, दादी माँ, अविवाहित बहनें, भाई, उनके बीवी बच्चे, विधवा या पति द्वारा छोड़ी हुई बहनें, विधवा भाभी सभी उस घर में तब तक रह सकते हैं जब तक कि घर है।* इस घर में रहने का हक आपको, दादी को, राम भैया की बीवी और बच्चों को, गौरी को और बिमला को भी है। माधव आपको यहाँ से नहीं निकाल सकता।''

आशा ने पूछा, ''क्या इसका मतलब यह है मुझे यहाँ रहने का अधिकार नहीं है ?''

माला ने बताया, नहीं, शादी के बाद तुम यहाँ हक के तौर पर

तो हमेशा नहीं रह सकती हो। हाँ तुम्हें यह हक है कि घरवालों से मिलने आया करो। *जब मकान बिक जायेगा तो तुम्हें अपने हिस्से के पैसे मिल जायेंगे।*

गौरी ने पूछा, ''मैं तो विधवा हूँ। माधव कहता है कि मैं उस परिवार की हूँ जहाँ मेरा विवाह हुआ था। वह मुझे भी घर से निकालने की धमकी दे रहा है।''

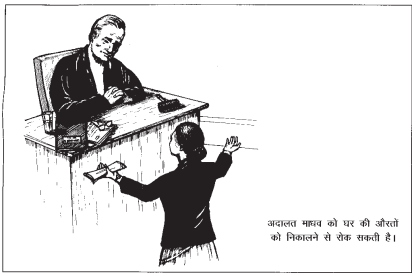

इस पर माला ने समझाया, ''नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता। *अगर वह तुम्हें निकालने की कोशिश करता है तो तुम्हें कोर्ट में अर्जी देनी चाहिये। कोर्ट माधव को ऐसा करने से रोक देगा।* अगर ऐसा होने की संभावना लगे तब तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारी मदद करूँगी।''

आशा की माँ ने कहा, ''मुझे लगता है कि माधव हमें हमेशा तंग करता रहेगा। अच्छा तो यही होगा कि हम इस घर के हिस्से कर लें। हम सारी औरतें अलग से साथ रहकर गुजारा कर लेंगी।''

खानदानी सम्पति का कोई भी हकदार घर के बंटवारे की मांग कर सकता है। आशा भी बंटवारे की मांग कर सकती है।

फिर आशा ने पूछा, ''एक बात और बता माला, माधव कहता है कि दादी, माँ, गौरी और भाभी के गहने परिवार की सम्पति हैं। क्या यह सच है ?''

कोई भी स्त्री वसीयत लिख सकती है।

इस पर माला ने बताया, नहीं *गहने या कोई अन्य उपहार जो किसी औरत को दिये जाते हैं, स्त्रीधन कहलाता है। उस पर हमेशा स्त्री का ही अधिकार होता है। स्त्री का उन पर पूरा अधिकार होता है। स्त्री को पूरा अधिकार है कि अपने स्त्रीधन का जैसा चाहे उपयोग करे। वह चाहे उसे बेच दे, चाहे किसी को दान कर दे। बंटवारे की बात सिर्फ उस सम्पति की है जो पिताजी छोड़ गये हैं। स्त्रीधन बंटवारे से परे है और उस पर सिवाय उस स्त्री के जिसके गहनें आदि हैं किसी और का कोई हक नहीं है।''*

आशा की माँ ने एक और प्रश्न किया, ''अगर आशा के पिताजी वसीयत छोड़ जाते हैं तो क्या हमें ज्यादा हिस्सा मिलता?

माला ने बताया, ''यह इस बात पर निर्भर करता है कि वसीयत में लिखा क्या है। *कोई व्यक्ति वसीयत में अगर अपनी सम्पति किसी के नाम कर दे, तो जिनका नाम वसीयत में न हो उनका उस पर कोई हक नहीं होता है।''*

आशा कहने लगी, ''मेरी सहेली के पिता ने अपनी सारी सम्पति अपनी बहू के नाम कर दी थी क्योंकि उन्हें यकीन था कि उनका शराबी बेटा उनके परिवार को नहीं संभाल पायेगा।''

माला ने कहा, *''हाँ वसीयत बनाते समय व्यक्ति को यह ध्यान में रखना चाहिए कि उसकी सम्पति सही लोगों के पास जाये।''*

दीदी बोली, ''बेटी, क्या औरतें भी वसीयत लिख सकती हैं ?''

माला ने कहा, ''हाँ दीदी जरूर। *हर व्यक्ति को पुरूष हो या महिला, अपनी इच्छा के अनुसार अपनी सम्पति की वसीयत करने का हक है।''*

आशा की माँ ने पूछा, ''अगर कोई औरत वसीयत न लिखे, तो उसकी सम्पति का क्या होगा ?

माला बोली, *किसी हिन्दू स्त्री के मरने पर उसकी सम्पति उसके वारिसों को मिलेगी। औरत के पहले दर्जे के वारिस हैं :*

- ❖ बेटा
- ❖ बेटी
- ❖ पति
- ❖ गुजरे हुए बेटे या बेटी के बच्चे

इनमें से कोई वारिस न हो, तो औरत के पति के रिश्तेदारों को सम्पति मिलेगी।

वसीयत कैसे लिखें

- अपना पूरा नाम लिखें
- अपने पिता या पति का नाम लिखें
- अपना पूरा पता लिखिये
- अपनी जायदाद के बारे में विस्तार से लिखिये
- जिन्हें जायदाद देना चाहती हैं उनका नाम और पता साफ तरीके से लिखिये
- यह जरूर लिखिये की वसीयत आप अपनी खुली मर्जी से, बिना दबाव के और पूरी होश में लिख रही हैं
- वसीयत लिखने की तारीख डालिये
- वसीयत पर हस्ताक्षर कीजिये
- दो गवाहों के हस्ताक्षर, नाम और पता होना चाहिये

याद रखिये, वसीयत से सिर्फ व्यक्ति की मृत्यु के बाद जायदाद किसी को मिल सकती है।

केवल वसीयत लिखने से कोई आपकी सम्पति का हकदार नहीं हो जाता।

वसीयत किसी साधारण कागज पर लिखी जा सकती है। इसे लिखने के लिये वकील की जरूरत नहीं है। हाँ, सही ढंग से लिखने के लिये वकील की सहायता ले सकते हैं।

वसीयत को पंजीकृत (रजिस्टर) करवाना जरूरी नहीं। हाँ, पंजीकृत करवाने से वसीयत गुम नहीं हो सकती, न ही गलत हाथों में पड़ सकती है।

प्रकाशक
'न्याय सदन'
झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
डोरण्डा, राँची
फोन : 0651–2481520, 2482392 फैक्स : 0651–2482397
ई–मेल : jhalsaranchi@gmail.com
वेबसाइट : http://www.jhalsa.nic.in

स्त्रोत : श्री नई दिल्ली